राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1,अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक:एफ9(5)(7)/आयोजना /बजट/ सा.न्या.अ.वि/2014–15/ 6636 जयपुर, दिनांक 01.08.14

कार्यालय आदेश

जिला कलक्टर्स (समस्त) को इस विभाग के आदेश क्रमांक 167 दिनांक 04.04.2014, 3243 दिनांक 18.06.2014 एवं 5755 दिनांक 18.07.2014 में आवश्यक संशोधन करते हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 पेंशन भुगतान हेतु संलग्न तालिकाओं में अंकित विवरण/सारणी के अनुसार आयोजना मद के अन्तर्गत बजट शीर्षो में बजट आवंटन किया जाता है।

बजट आवंटन भुगतान की स्वीकृति नही है। भुगतान के लिए निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमो की पालना सुनिश्चित करें। इस आवंटन का उपयोग नियमानुसार करने हेतु निम्नलिखित निर्देशों की कठोरता से पालना करावें।

1. पेंशन योजनाओं का श्रेणीवार/मदवार पेंशन से सम्बन्धित मासिक व्यय विवरण मय लाभान्वितों की संख्या के प्रतिमाह 7 तारीख तक निर्धारित प्रारूप में विभागीय अतिरिक्त निदेशक, (पेंशन एवं पन्नाधाय) को भिजवायें।
2. वार्षिक आय–व्ययक अनुमान व अधिक/बचत की सूचना व अतिरिक्त बजट मांग निर्धारित प्रारूप में समय पर आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।
3. विभिन्न पेंशन योजनाओ की राशि का आहरण पेंशन श्रेणी अनुसार पृथक–पृथक बिल बनवाकर आहरित करवायें तथा विस्तृत मदवार वर्गीकरण अंकित किया जावे, ताकि प्रत्येक प्रकार की पेंशन का व्यय महालेखाकार की पुस्तकों मे सम्बन्धित मद में ही दर्ज हो सके।
4. विभिन्न योजनाओं में आहरित राशि का उपयोग करने हेतु अलग अलग पंजीका का संधारण करें।
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनरों हेतु रू 200/– प्रति माह तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन में 300/– प्रतिमाह एवं 80 वर्ष अधिक आयु के पेंशनरों हेतु रू 500/–प्रति माह (केन्द्रीयांश) राशि संलग्न सारणीयों में अंकित सम्बन्धित मद शीर्षक मे आवंटित बजट में से आहरित की जानी है। शेष राशि पेंशन श्रेणी वार आयोजना भिन्न मद के संगत बजट शीर्ष
4. में आवंटित राशि से आहरित की जावे।
6. पेंशन योजनाओ में सबंधित लेखा शीर्षक मे ऋणात्मक मद में जमा कराई गई राशि (अवितरित पेंशन) का विवरण भी मासिक व्यय विवरण के साथ अंकित करे,ताकि महालेखाकार कार्यालय से अंक मिलान का कार्य सुचारू रूप से संपादित करवाया जा सके।
7. बिना पूर्व अनुमति के आवंटन से अधिक व्यय नही करें।
8. जिले के समस्त उप कोष/कोष कार्यलय की व्यय संबंधी सूचना ईकजाई कर प्रतिमाह 7 तारीख तक निर्धारित प्रारूप में भिजवायें साथ ही IFMS पर राजकोष में ऑन लाईन संधारित व्यय से मिलान कर व्यय की रिपोर्ट प्रेषित करें।
9. राष्ट्रीय पेंशन योजना मे वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये पृथक से लेखा शीर्षक सलग्न सारणियों मे दर्शाया गया है, उसी के अनुरूप नये लेखा शीर्षको की बजट सील जिसमें पूर्ण लेखा मद अंकित हो लगाई जावें तथा सारणियों में अंकित लेखा मद के अनुसार ही पेंशन राशि आहरित की जावे।

संलग्न:–बजट आवंटन सारणी

आयुक्त

क्रमांक:एफ9(5)(7)/ आयोजना /बजट/ सा.न्या.अ.वि/2014–15/ 6637 – 6711 जयपुर, दिनांक 01.08.14

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. जिला कलक्टर, ~~उदयपुर एवं सवाईमाधोपुर~~ (समस्त)
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषद........................
3. संयुक्त शासन सचिव (पी.एफ.) आयोजना विभाग शासन सचिवालय,जयपुर
4. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–2) अनुभाग शासन सचिवालय जयपुर
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग शासन सचिवालय जयपुर
6. संयुक्त निदेशक (एस.सी.एस.पी.) मुख्यावास
7. कोषाधिकारी, ~~उदयपुर एवं सवाईमाधोपुर~~ (समस्त)
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को आवंटित बजट ऑनलाइन करने एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने बाबत्।
9. लेखाकार (अंक मिलान/भुगतान)
10. व्यय संधारण लिपिक
11. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

(पेंशन एवं पन्नाधाय)

38 D:\Drive D\Chhtar ji\C.H..doc